

संदर्भ: आईआरडीएआई/आईएनटी/ओआरडी/विविध/94/6/2024

Ref: IRDAI/INT/ORD/MISC/94/6/2024

दिनांक / Date: 14.06.2024

बीमा अधिनियम, 1938 के उपबंध के साथ पठित आईआरडीएआई (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 के अधीन भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का आदेश-

Order of Insurance Regulatory and Development Authority of India under under IRDAI (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015 read with provision of Insurance Act, 1938-

मेसर्स बिलियनब्रेन्स गैरेज वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (बीजीवी) के मामले में

In the matter of M/s. Billionbrains Garage Ventures Private limited (BGV)

कारण बताओ नोटिस दिनांक 23 फरवरी, 2024 के लिए उत्तर और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद के कार्यालय में सदस्य (वित्त व निवेश) और सदस्य (जीवन) की अध्यक्षता में 30 मई, 2024 को आयोजित वैयक्तिक सुनवाई के दौरान किये गये प्रस्तुतीकरणों के आधार पर]

Based on the reply to the Show Cause Notice dated 23rd February 2024 and submissions made by during Personal Hearing held on 30th May 2024, chaired by Member (F&I) & Member (Life) at the office of Insurance Regulatory and Development Authority of India, Hyderabad]

पृष्ठभूमि / Background:

1. मेसर्स बिलियनब्रेन्स गैरेज वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (इस आदेश में इसके बाद "बीजीवी" के रूप में उल्लिखित) ने 5 जून, 2023 को कारपोरेट एजेंसी सीओआर की सम्मिश्र श्रेणी के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। उचित प्रक्रिया और आवेदक के साथ कई पत्राचार करने के बाद जहाँ उसने स्पष्टीकरण / सूचना / अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत किये थे, आवेदक को कारपोरेट एजेंट पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्रदान किया गया था।

M/s Billionbrains Garage Ventures Pvt Ltd., (hereinafter called the "BGV") applied for Composite category of Corporate Agency CoR on 5th June 2023. After due process and several correspondences with the applicant where it had submitted clarifications / information / additional documents, the applicant was granted Corporate Agent Certificate of Registration (CoR).

2. बीजीवी को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इस आदेश में इसके बाद प्राधिकरण के रूप में उल्लिखित) द्वारा कारपोरेट एजेंट (सम्मिश्र) के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस सं. सीए0872 के अनुसार सीओआर 16.10.2023 को प्रदान किया गया है, जो 15.10.2026 तक विधिमान्य है।

BGV is granted CoR to act as a Corporate Agent (Composite) by Insurance Regulatory and Development Authority of India (hereinafter referred to as the Authority) on 16.10.2023 vide license no. CA0872, valid up to 15.10.2026.

3. सीओआर प्राप्त करने के तत्काल बाद, बीजीवी ने अपनी मूल/प्रवर्तक कंपनी, मेसर्स ग्रो आईएनसी, एक डेलावेर (यूएसए) पंजीकृत विदेशी कंपनी, के साथ समामेलन की योजना के लिए माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), बेंगलूरु पीठ के पास बीजीवी द्वारा फाइल की गई याचिका के बारे में प्राधिकरण को अवगत कराने के लिए 20 अक्टूबर, 2023 को एक ई-मेल संदेश (दिनांक 17 अक्टूबर, 2023 के एक पत्र के साथ) भेजा।
Immediately after receiving the CoR, BGV sent an email communication on 20th October, 2023 (with a letter dated 17th October, 2023) to keep the Authority informed about a petition filed by BGV with Hon'ble National Company Law Tribunal (NCLT), Bengaluru bench for a scheme of amalgamation with its parent/promoter company, M/s Groww Inc., a Delaware (USA) registered Foreign Company.
4. अतिरिक्त स्पष्टीकरण माँगने पर यह जानकारी मिली है कि अंतरणकर्ता और अंतरिती कंपनियों के निदेशक बोर्ड ने दिनांक 12 अप्रैल, 2023 के अपने संबंधित बोर्ड संकल्पों के अनुसार समामेलन की उक्त योजना का अनुमोदन किया था तथा समामेलन की उक्त योजना के लिए प्रथम प्रस्ताव (मोशन) याचिका माननीय एनसीएलटी, बेंगलूरु पीठ के समक्ष 24 अप्रैल, 2023 को (कारपोरेट एजेंसी आवेदन की प्रस्तुति से काफी पहले) फाइल की गई थी जिसका निपटान याचिकाकर्ता को दूसरी प्रस्ताव (मोशन) याचिका फाइल करने की अनुमति देते हुए 4 अगस्त, 2023 को किया गया था।
Upon seeking further clarification. it has come to notice that the Board of Directors of the Transferor and Transferee Companies had approved the Scheme of Amalgamation vide their respective Board Resolutions dated 12th April, 2023 and the First Motion Petition for the scheme of amalgamation was filed before Hon'ble NCLT, Bengaluru Bench on 24th April, 2023 (much before the submission of the corporate agency application) which was disposed on 4th August, 2023 allowing the petitioner to file Second Motion Petition.
5. बीजीवी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, समामेलन की योजना के लिए दूसरी प्रस्ताव (मोशन) याचिका दिनांक 29 अगस्त, 2023 को फाइल करने के बाद, एनसीएलटी, बेंगलूरु पीठ ने उक्त योजना के संबंध में किन्हीं टिप्पणियों / विचारों / आपत्तियों के लिए क्षेत्रीय विनियमनकर्ता को एक नोटिस देने के लिए अनुदेश देते हुए एक अंतरिम आदेश दिनांक 27 सितंबर, 2023 पारित किया।
As informed by BGV, upon filing the Second Motion Petition dated 29th August, 2023 for the scheme of amalgamation, the NCLT, Bengaluru Bench passed an interim order vide dated 27th September, 2023 instructing the CA to serve a notice to sectoral regulator for any comments / views / objections on the scheme.
6. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, बीजीवी ने समामेलन की उक्त योजना के बारे में प्राधिकरण को अवगत कराने के लिए 20 अक्टूबर, 2023 को एक ई-मेल भेजा। समामेलन की उक्त योजना के अनुसार, बीजीवी की मूल कंपनी ग्रो आईएनसी बीजीवी में विलयित होगी। इसके परिणामस्वरूप, बीजीवी उत्तरजीवी संस्था के रूप में रह जाएगी तथा ग्रो आईएनसी के सभी शेयरधारक बीजीवी के शेयरधारक बन जाएंगे।

In view of the above, BGV sent an email on 20th October, 2023 to keep the Authority informed about the scheme of amalgamation. As per the scheme of amalgamation, BGV's parent entity, Groww Inc. would merge into BGV. As a result, BGV will remain the surviving entity and all shareholders of Groww Inc. would consequently become shareholders of BGV.

7. बीजीवी के आवेदक का कारपोरेट एजेंसी आवेदन प्राधिकरण के पास 5 जून, 2023 को फाइल किया गया था और पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) 16 अक्टूबर, 2023 को प्रदान किया गया था तथा इस अवधि के दौरान आवेदक के साथ कई पत्राचार हुए थे।

BGV's applicant's Corporate Agency Application was filed with the Authority on 5th June, 2023 and the Certificate of Registration (CoR) was granted on 16th Oct, 2023 and there were several correspondences with the applicant during this period.

8. तथापि, बीजीवी ने एनसीएलटी के पास लंबित विद्यमान विलय और समामेलन याचिका के बारे में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की।

However, BGV did not furnish any information about ongoing Merger & Amalgamation petition pending at NCLT.

9. बीजीवी ने यह भी प्रस्तुत किया कि चूंकि बीजीवी की प्रभावी शेयरधारिता अपरिवर्तित रहेगी, अतः विलय के बाद भारत में प्रयोज्य विधियों के अंतर्गत अनुमत सीमा तक वे ही संबंधित अधिकार, शक्तियाँ और वरीयताएँ, योग्यताएँ और सीमाएँ और प्रतिबंध जारी रहेंगे।

BGV also submitted that as effective shareholding of BGV will remain unchanged, post-merger having the same respective rights, powers and preferences, qualifications and limitations and restrictions to the extent permitted under applicable laws in India.

10. अतः बीजीवी ने माना कि प्रस्तावित विलय सीए आवेदन के भाग के रूप में शामिल की जानेवाली महत्वपूर्ण सूचना नहीं थी।

Hence, BGV considered that the proposed merger was not material information to be included as a part of the CA application.

11. कारण बताओ नोटिस, उत्तर और सुनवाई / Show-Cause Notice, Reply and Hearing:

क. उक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित विनियमों के उल्लंघन के लिए उक्त कारपोरेट एजेंट को कारण बताओ नोटिस दिनांक 23 फरवरी, 2024 (इस आदेश में इसके बाद "एससीएन" के रूप में उल्लिखित) जारी किया गया:

a. Considering the facts and circumstances, Show cause notice (hereinafter referred as "SCN") dated 23rd February, 2024 was issued to the Corporate Agent for the violation of the following regulations:

- i. आईआरडीएआई (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 के विनियम 22 (1) का उल्लंघन।
Violation of Reg. 22(1) of the IRDAI (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015.

- ii. आईआरडीएआई (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 के विनियम 28 के साथ पठित अनुसूची V के खंड I (ii) (ख) का उल्लंघन।
Violation of Clause I (ii) (b) of Schedule V read with Regulation 28 of IRDAI (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015.
- ख. बीजीवी ने दिनांक 8 अप्रैल, 2024 के पत्र के अनुसार अपना उत्तर प्रस्तुत किया जिसमें उसने आगे अपना स्पष्टीकरण विस्तार से देने के लिए एक वैयक्तिक सुनवाई की अपेक्षा की।
- b. BGV submitted their response vide letter dated 8th April 2024 wherein it had sought a personal hearing to elaborate their clarification further.
- ग. बीजीवी को एक वैयक्तिक सुनवाई का अवसर 30 मई, 2024 को दिया गया। बीजीवी की ओर से उक्त सुनवाई में श्री अंकित बंसल, पीओ-बीजीवी, श्री ललित भीमानी, वीपी-वित्त, बीजीवी, श्री हर्ष जैन, सह-संस्थापक और निदेशक, बीजीवी उपस्थित थे। प्राधिकरण की ओर से श्री बी.सी. पटनायक, सदस्य (जीवन), श्री राजय कुमार सिन्हा, सदस्य (वित्त व निवेश), सुश्री उमा महेश्वरी, महाप्रबंधक (मध्यवर्ती), श्री कुरपाटी श्रीधर राव, उप महाप्रबंधक (मध्यवर्ती) और श्री सुमनदीप घोष, सहायक प्रबंधक (मध्यवर्ती) उक्त बैठक में उपस्थित रहे।
- c. A personal hearing was given to BGV on 30th May, 2024. On behalf of the BGV hearing was attended by Mr. Ankit Bansal, PO- BGV, Mr. Lalit Bhimani, VP-Finance, BGV, Mr. Harsh Jain, Co-Founder & Director, BGV. On behalf of the Authority, Mr. B C Patnaik, Member (Life), Mr. Rajay Kumar Sinha, Member (F&I), Ms. R. Uma Maheswari, General Manager (Intermediary), Mr. Kurapaty Sridhar Rao, Deputy General Manager (Intermediary), and Mr. Sumandeep Ghosh, Assistant Manager (Intermediary) attended the meeting.
- घ. एससीएन दिनांक 23 फरवरी, 2024 में बीजीवी के विरुद्ध लगाये गये आरोपों, अपने लिखित उत्तर दिनांक 8 अप्रैल, 2024 में सीए के उत्तर, तथा वैयक्तिक सुनवाई दिनांक 30 मई, 2024 के दौरान किये गये प्रस्तुतीकरणों तथा उक्त आरोपों पर लिये गये निर्णयों का विवरण नीचे दिया जाता है।
- d. The charges framed against BGV in the SCN dated 23rd February, 2024, response of the CA in their written reply dated 8th April, 2024 and submissions made during personal hearing dated 30th May 2024 and the decisions on the charges thereon are detailed below.

12. बीजीवी का प्रस्तुतीकरण / Submission of BGV:

एनसीएलटी के समक्ष फाइल की गई व्यवस्था की प्रस्तावित योजना बीजीवी के साथ बीजीवी की मूल संस्था, ग्रो आईएनसी के प्रतिवर्ती विलय (रिवर्स मर्जर) है जो विशुद्ध रूप से प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए है। परिणामतः बीजीवी उत्तरजीवी संस्था के रूप में रह जाएगी और ग्रो आईएनसी के सभी शेयरधारक इसके परिणामस्वरूप बीजीवी के अंतिम शेयरधारकों में और/या उसकी किसी भी सहायक संस्था में कोई परिवर्तन लागू किये बिना बीजीवी के शेयरधारक बन जाएंगे।

The proposed scheme of arrangement filed before the NCLT is for a reverse merger of BGV's parent entity, Groww Inc., with BGV which is purely for administrative purposes. As a result, BGV will remain the surviving entity and all shareholders of Groww Inc. would consequently become shareholders of BGV

without affecting any change in the ultimate shareholders of BGV and/or any of its subsidiaries.

अपनी मूल संस्था ग्रो आईएनसी के साथ बीजीवी के विलय के लिए एनसीएलटी के समक्ष बीजीवी द्वारा फाइल की गई विलय याचिका निम्नलिखित प्रशासनिक कारणों से प्रस्तुत की गई:

The merger petition filed by BGV before the NCLT for the merger of BGV with its parent entity Groww Inc. is undertaken for the following administrative reasons:

- (क) समूह संरचना को सरल और एकीकृत बनाने के लिए;
(a) To simplify and unifies the group structure;
- (ख) धारिता के स्वरूप को सरल और कारगर बनाने के द्वारा अमेरिकी (यूएस) विधियों के अंतर्गत दोहरी कारपोरेट प्रक्रियाओं को हटाते हुए कुशल निर्णयन के लिए; तथा
(b) For efficient decision making by eliminating duplicate corporate procedures under US laws by streamlining the holding structure; and
- (ग) प्रशासनिक, प्रबंधकीय और अन्य सामान्य व्ययों को कम करने के लिए। इन कारपोरेट संरचनागत लाभों के अलावा, बीजीवी की समूह-संरचना या नियंत्रण में प्रभावी ढंग से कोई परिवर्तन नहीं होगा।
(c) To reduce administrative, managerial and other common expenses. Apart from these corporate structuring advantages, there would effectively be no change in the group structure or the control of the BGV.

इसके अलावा, विलय के बाद बीजीवी की प्रभावी शेयरधारिता अपरिवर्तित रहेगी, जहाँ भारत में लागू कानूनों के अंतर्गत अनुमत सीमा तक वे ही संबंधित अधिकार, शक्तियाँ और वरीयताएँ, अर्हताएँ और सीमाएँ और प्रतिबंध बने रहेंगे, जिसके कारण विलय के बाद बीजीवी की प्रभावी शेयरधारिता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अतः एनसीएलटी प्रक्रिया के दौरान बीजीवी ने आईआरडीएआई से कोई लाइसेंस प्राप्त नहीं किया, उन्होंने विश्वास किया कि आईआरडीएआई अभी बीजीवी का सांविधिक प्राधिकरण नहीं है। विलय की याचिका उनकी वेबसाइट पर सार्वजनिक की गई तथा हिन्दू और उदयवाणी जैसे समाचारपत्रों में नोटिस प्रकाशित किये गये। बीजीवी का विश्वास था कि प्रस्तावित विलय महत्वपूर्ण सूचना नहीं है और सारी घटनाएँ विशुद्ध रूप से अनभिप्रेत थीं। आवेदन के प्रसंस्करण के स्तर पर इस दौरान किसी भी असावधानीवश हुई चूक हेतु क्षमा के लिए बीजीवी ने अनुरोध किया।

Further, the effective shareholding of BGV will remain unchanged, post-merger having the same respective rights, powers and preferences, qualifications and limitations and restrictions to the extent permitted under applicable laws in India, thereby effectively causing no change in the effective shareholding of BGV, post-merger. Since, during the NCLT process, BGV had not received any license from IRDAI, they believed that the IRDAI was not yet statutory authority for BGV. The merger petition was made public on their website and notices were published in newspaper like Hindu & Udyavani. BGV believed that the proposed merger was not material information and the entire events were purely unintentional. BGV requested for pardon for any inadvertent oversight during the application processing stage.

ग्री एक समूह के रूप में, अपने परिचालनों के दोनों अभिन्न पहलुओं के रूप में अनुपालन और अभिशासन, पर दृढ़तापूर्वक बल देता है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि वे विनियमनकर्ताओं के द्वारा उनपर रखी गई प्रत्याशाओं के प्रति अत्यंत जागरूक हैं तथा यह सुनिश्चित करने के लिए वे अतीव सावधानी बरतते हैं कि उनकी कार्रवाइयाँ उद्योग के मानकों और विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप हों। यह न केवल उनके हितों की रक्षा करता है, बल्कि अधिक व्यापक वित्तीय पारिस्थितिक तंत्र (ईको सिस्टम) की अखंडता और स्थिरता के लिए भी योगदान करता है। बीजीवी ने आगे प्रस्तुतीकरण किया कि विनियमनकर्ता द्वारा उनपर रखे गये भरोसे और विश्वास को बनाये रखने के लिए वे पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं।

Groww as a group, places a strong emphasis on compliance and governance, both integral aspects of their operations. They also submitted that they are acutely aware of the expectations placed upon them by regulators and they take great care to ensure that their actions are aligned with industry standards and regulatory requirements. The same not only safeguards their interests but also contributes to the integrity and stability of broader financial ecosystem. BGV further submitted that they are fully committed to maintaining the trust and confidence reposed on them by the regulator.

बीजीवी ने किसी भी असावधानीपूर्वक हुई चूक के लिए क्षमा हेतु अनुरोध किया तथा वैयक्तिक सुनवाई में अपना उत्तर विस्तार से देने का अवसर प्रदान करने के लिए निवेदन किया एवं आश्वासित किया कि वे आगे किसी भी प्रश्न और स्पष्टीकरण का समाधान करेंगे।

BGV requested for pardon for any inadvertent oversight and request for the opportunity to elaborate on their response in the personal hearing and assured that they would address any further question or clarification.

13. आरोप / Charge 1:

आईआरडीएआई (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 के विनियम 22(1) का उल्लंघन

Violation of Regulation 22(1) of IRDAI (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015

कारपोरेट एजेंट बनने के लिए इच्छुक आवेदक प्राधिकरण के पास आवेदन फाइल करते समय आवेदन पर विचार करने के लिए संगत सभी महत्वपूर्ण तथ्य स्वयं ही प्रकट करेगा। उनके आवेदन पर विचार करने के लिए प्रस्तुत की गई सूचना में आवेदन फाइल करने के बाद या आवेदन के प्रसंस्करण के दौरान कोई भी परिवर्तन होने की स्थिति में प्राधिकरण को ऐसे परिवर्तन का प्रकटीकरण प्राधिकरण के द्वारा विचार किये जाने के लिए आवेदक के द्वारा स्वैच्छिक रूप से किया जाएगा।

An applicant desires to become a corporate agent shall disclose to the Authority at the time of filing application all material facts relevant for consideration of application, on its own. In case of any change in the information provided for consideration of their application, subsequent to filing of application or during the processing of application, such change shall be disclosed to the Authority, voluntary by the applicant, for consideration of the Authority

टिप्पणी और निर्णय / Observation and Decision:

सीओआर का आवेदन फाइल करने से पहले भी और आवेदन के प्रसंस्करण के दौरान, एनसीएलटी के पास फाइल की गई समामेलन की योजना की संपूर्ण जानकारी बीजीवी को थी। तथापि, उक्त आवेदन के प्रस्तुतीकरण / प्रसंस्करण के दौरान प्राधिकरण को इसकी सूचना नहीं दी गई थी। यह सूचना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप शेयरधारिता के स्वरूप में परिवर्तन होता है तथा एक कंपनी के बजाय, अनेक कंपनियाँ सीधे ही आवेदक कंपनी का शेयरधारक बन जाती हैं। इस महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रभाव सीओआर प्रदान करने से पहले, प्राधिकरण द्वारा किये जानेवाले प्रामाणिक तौर पर सावधानी के प्रयोग के कारण आवेदन के प्रसंस्करण पर पड़ता है। इसके अलावा, यदि माननीय एनसीएलटी, बंगलूरु ने समामेलन की योजना पर क्षेत्रीय विनियमनकर्ता को नोटिस देने के लिए निदेश नहीं दिया होता, तो उक्त सीए पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्रदान करने के बाद भी इसकी सूचना से प्राधिकरण को बिलकुल अवगत नहीं कराता।

BGV had complete knowledge of the scheme of amalgamation filed with the NCLT even before filing application of CoR and during the process of the application. However, the same was not informed to the Authority during the submission / processing of the application. The information is material as the resulting shareholding pattern is changing and instead of a Company, multiple entities would be directly become shareholder of the applicant company. This material change has a bearing on processing of application before granting CoR due to informed diligence exercise done by the Authority. Further, had the Hon'ble NCLT, Bengaluru Bench not directed to serve notice to sectoral regulator on the scheme of amalgamation, the CA would not have kept the Authority informed about the same at all even after grant of CoR.

बीजीवी के लिए उक्त महत्वपूर्ण सूचना 15 अक्टूबर, 2023 तक अर्थात् आवेदन के प्रसंस्करण के दौरान प्राधिकरण को देनी चाहिए थी। तथापि, बीजीवी ने उक्त विलय और समामेलन के बारे में 20 अक्टूबर, 2023 को सूचित किया था।

BGV should have informed the Authority about the material information by 15th Oct, 2023 i.e. during the processing of the application. However, BGV informed about the merger & amalgamation scheme on 20th Oct, 2023.

अतः बीजीवी ने आईआरडीएआई (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 के विनियम 22(1) के उपबंधों का उल्लंघन किया है।

Hence, BGV is in violation of the provisions of Regulation 22(1) of IRDAI (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015.

ऊपर दिये गये विवरण के अनुसार उपर्युक्त उल्लंघनों पर विचार करते हुए, प्राधिकरण बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 102(बी) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीजीवी पर रु. 5,00,000/- (केवल पाँच लाख रुपये) का अर्थदंड लगाता है।

Considering the aforementioned violations, as detailed above, the Authority in exercise of powers vested in Section 102(b) of the Insurance Act, 1938 imposes penalty of Rs. 5,00,000/- (Rupees Five lakh only) on BGV.

14. आरोप / Charge 2:

आईआरडीएआई (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 के विनियम 28 के साथ पठित अनुसूची V के खंड I (ii) (ख) का उल्लंघन

Violation of Clause I (ii) (b) of Schedule V read with Regulation 28 of IRDAI (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015

प्राधिकरण निम्नलिखित किसी एक या उससे अधिक कारणों से कारपोरेट एजेंट का पंजीकरण निलंबित अथवा निरस्त कर सकता है:

The Authority may suspend or cancel the registration of a Corporate Agent for any one or more of the following reasons:

- (ख) गलत या झूठी सूचना प्रस्तुत करता है; अथवा पंजीकरण प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत आवेदन में महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाता है या उन्हें प्रकट नहीं करता।
- (b) Furnishes wrong or false information; or conceals or fails to disclose material facts in the application submitted for obtaining a registration.

टिप्पणी और निर्णय / Observation & Decision:

बीजीवी ने पत्र दिनांक 9 नवंबर, 2023 के अनुसार सीओआर का अभ्यर्पण करने के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने सूचित किया कि कारपोरेट एजेंट के रूप में उन्होंने कोई व्यवसाय प्रारंभ नहीं किया है तथा उक्त सीओआर के माध्यम से कोई भी पालिसी जारी नहीं की गई है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बीजीवी ने सीओआर का अपना आवेदन पहले ही अभ्यर्पित किया है तथा अब तक कोई भी पालिसी जारी नहीं की है, यह निर्णय लिया गया है कि इस उल्लंघन के लिए आरोपों पर बल नहीं दिया जाए।

BGV vide letter dated 9th November, 2023 submitted their application to surrender of CoR wherein it had informed that they have not commenced any business activity as Corporate Agent and no policy have been issued through the CoR. Considering the fact that BGV have already surrendered its application of CoR and did not book any policy till date, it is decided to not press charges for this violation.

15. निर्णयों का सारांश / Summary of Decisions:

इस आदेश में आरोप-वार निर्णयों का सारांश निम्नलिखित है:

The following is the summary of charge wise decisions in this order:

आरोप सं. Charge No.	आरोप का शीर्षक और वे उपबंध जिनका उल्लंघन किया गया Title of charge and the provisions violated	निर्णय Decision
1	आईआरडीएआई (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 के विनियम 22(1) का उल्लंघन Violation of Regulation 22(1) of IRDAI (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015	रु. 5,00,000/- (केवल पाँच लाख रुपये) का अर्थदंड Penalty of Rs. 5,00,000/- (Rupees Five lakh only)

2	आईआरडीएआई (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 के विनियम 28 के साथ पठित अनुसूची V के खंड I (ii) (ख) का उल्लंघन Violation of Clause I (ii) (b) of Schedule V read with Regulation 28 of IRDAI (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015	बल नहीं दिया गया। Not pressed.
---	--	-----------------------------------

16. समापन / Conclusion:

- क. जैसा कि संबंधित आरोपों के अंतर्गत निदेश दिया गया है, रु. पाँच लाख का उक्त अर्थदंड उक्त कारपोरेट एजेंट के द्वारा एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से (जिसके लिए ब्योरा अलग से सूचित किया जाएगा) इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से 45 दिन की अवधि के अंदर विप्रेषित किया जाएगा। विप्रेषण की सूचना accounts@irdai.gov.in को भेजी जाए तथा उसकी एक प्रति uma@irdai.gov.in को भी प्रेषित की जाए।
- a. As directed under the respective charges, the penalty of Rs. Five Lakh shall be remitted by the Corporate Agent within a period of 45 days from the date of receipt of this Order through NEFT / RTGS (details for which will be communicated separately). An intimation of remittance may be sent to accounts@irdai.gov.in with a copy to uma@irdai.gov.in
- ख. बीजीवी उपर्युक्त निर्णयों के अनुपालन की पुष्टि इस आदेश का प्राप्त की तारीख से 21 दिन के अंदर करेगा। यह आदेश उनके बोर्ड की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा तथा बीजीवी विचार-विमर्श के कार्यवृत्त की एक प्रति प्रस्तुत करेगा।
- b. BGV shall confirm compliance in respect of the above decisions, within 21 days from the date of receipt of this order. The order shall be placed in their upcoming Board meeting and BGV shall submit a copy of the minutes of the discussion.
- ग. यदि बीजीवी इस आदेश में निहित निर्णयों से असंतुष्ट है, तो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 110 के अनुसार प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) को अपील प्रस्तुत की जा सकती है।
- c. If BGV feels aggrieved by any of the decisions in this order, an appeal may be preferred to the Securities Appellate Tribunal as per Section 110 of the Insurance Act, 1938.

स्थान: हैदराबाद
Place: Hyderabad

दिनांक / Date: 14.06.2024



बी. सी. पटनायक
B C Patnaik

सदस्य (जीवन)
Member (Life)



राजय कुमार सिन्हा
Rajay Kumar Sinha

सदस्य (वित्त व निवेश)
Member (F&I)